न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बालोद

जिला—बालोद (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी— कु० माधुरी मरकाम)

//निर्णय//

(आज दिनांक 22—11—2023)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक—2061/2022

सी.एन.आर.नं.—.CGBL02—002356—2022..

अपराध क्र.०—510/2022

थाना—गुरूर, जिला—बालोद (छ.ग.)

शिकायतकर्ता	छ.ग. राज्य
राज्य की ओर से	श्री विनय नंदा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	नंदकुमार गंजीर, पिता—स्व. श्री रघुनंदन गंजीर उम्र—66 वर्ष, साकिन—मोखा थाना गुरूर जिला बालोद (छ.ग.)
अभियुक्त की ओर से	श्री देवेन्द्र गजपाल, अधिवक्ता

MADHURI MARKAM

Digitally signed by MADHURI MARKAM
Date: 2023.11.22 12:44:17 +0530

Case Number – 2061/2022
State Vs Nandkumar Ganjir

घटना दिनांक	10.11.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट	10.11.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	20.12.2022
आरोप पत्र विरचित दिनांक	05.04.2023
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	24.05.2023
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	22.11.2023
निर्णय की तिथि	22.11.2023
सजा आदेश की तिथि यदि कोई हो	निरंक

//अभियुक्त का विवरण//

आरोपी का रैंक	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर मुक्त होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	दी गई सजा	धारा 428 प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान की गई निरोध की अवधि
1.	नंदकुमार गंजीर	10.11.22	10.11.22	धारा–34(1) (क) एवं 34(1) (ख) छ.ग. आबकारी अधिनियम	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

Case Number – 2061/2022
State Vs Nandkumar Ganjir

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निर्णय का शीर्षक	1—3
2.	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3.	आरोप	4
4.	स्वीकृत तथ्य	—
5.	अभियोजन की कहानी	4—5
6.	अभियुक्त कथन	5
7.	विचारणीय प्रश्न	6
8.	सकारण निष्कर्ष	6—14
9.	सजा	—
10.	निरोध की अवधि व सेटऑफ	16
11.	संपत्ति का व्ययन	15
12.	प्रतिकर का आदेश	—
13.	धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र	16
14.	सजा में प्रतिबद्धता का वारंट कारावास (अर्थदण्ड)	—
15.	निर्णय की प्रति	15

<u>–:: निर्णय ::–</u>

<u>(आज दिनांक 22–11–2023 को घोषित)</u>

01– अभियुक्त नंदकुमार गंजीर के विरूद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा– 34(1)(क) एवं 34(1)(ख) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 10/11/2022 के समय 12:00 बजे थाना–गुरूर क्षेत्रांतर्गत एनएच–930 मेन रोड गुरूर चितरंजन होटल के पास छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के उपबंध के या बनाये गये नियम तथा जारी की गयी अधिसूचना या आदेश के उल्लघंन में बिना वैध अनुज्ञप्ति के मादक द्रव्य 18 पाव देशी प्लेन शराब कुल 3.240 बल्क लीटर तथा अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा तथा शराब को अवैध रूप से विक्रय कर रहा था।

02– अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, थाना गुरूर में दर्ज अपराध क्र.– 510/2022 के तहत अभियुक्त नंदकुमार गंजीर पिता– स्व. श्री रघुनंदन गंजीर के विरूद्ध यह अभियोग है कि, उसने दिनांक 10/11/2022 के समय 12:00 बजे थाना गुरूर क्षेत्रांतर्गत एनएच–930 मेन रोड गुरूर चितरंजन होटल के पास एक नीला रंग के थैले में रखे मादक द्रव्य 18 पाव देशी प्लेन शराब कुल 3.240 बल्क लीटर बिना वैध अनुज्ञप्ति के

अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा तथा विक्रय कर रहा था। उक्त अपराध के संबंध में विवेचक को सूचना प्राप्त होने पर साक्षी रामनारायण मारकण्डे एवं बन्ता कुर्रे को धारा 160 द.प्र.स. की नोटिस देकर मुखबीर सूचना से अवगत कराकर कार्यवाही के दौरान साक्षी बनने हेतु कहा।

03– विवेचक द्वारा घटनास्थल पहुंचकर साक्षीगणों के समक्ष ही अन्य कार्यवाही कर अभियुक्त के कब्जे से उक्त कथित द्रव्य बरामद किया। जिसे अपने कब्जे में रखने के संबंध में अभियुक्त को धारा 91 द.प्र.स. का नोटिस दिया गया। उक्त नोटिस पर अभियुक्त ने लिखित कथन में कथन दिया कि उक्त मदिरा को रखने तथा विक्रय के संबंध में कोई वैध दस्तावेज उसके पास नहीं है, विवेचक द्वारा उक्त मदिरा को साक्षीगणों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अन्य विवेचना की कार्यवाही संपूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र पेश किया गया।

04– अभियुक्त का परीक्षण द.प्र.स. की धारा 313 के तहत किये जाने पर उसने छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा– 34(1)(क) एवं 34(1)(ख) का अपराध किये जाने से इंकार किया तथा निर्दोष होना व्यक्त कर अपने बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

05– प्रकरण के विधिवत निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न विरचित किया गया–

1. क्या अभियुक्त से दिनांक 10.11.2022 को समय 12.00 बजे थाना गुरूर क्षेत्रांतर्गत एनएच–930 मेन रोड गुरूर चितरंजन होटल के पास एक नीला रंग के थैले में रखे मादक द्रव्य 18 पाव संदेहास्पद द्रव बरामद कर जप्त की गई थी ?

2. क्या उक्त द्रव देशी प्लेन शराब था ?

3. क्या अभियुक्त के पास उक्त मादक द्रव को आधिपत्य में रखने तथा विक्रय करने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति थी ?

4. दोषसिद्धि/दोषमुक्ति

–:विवेचना एवं निष्कर्ष:–

06– अभियोजन द्वारा अपने प्रकरण के समर्थन में निम्न साक्षियों का परीक्षण करवाया–1.बंता कुर्रे–**असा.–1**

2. रामनारायण–**अ.सा.–2**

3. प्रधान आरक्षक नर्मदा कोठारी–**अ.सा.–3**

4. आबकारी उपनिरीक्षक अतुल देवांगन–**अ.सा–4**

तथा अपने समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किया:–

1. धारा 160 द.प्र.सं. की नोटिस– **प्र.पी.–1**

2. मुखबीर सूचना पंचनामा– **प्र.पी.–2**
3. तलाशी पंचनामा लेने वाले पुलिस पार्टी एवं गवाह का पंचनामा – **प्र.पी.–3**
4. व्यक्ति सामान मकान की तलाशी नोटिस –**प्र.पी–4**
5. व्यक्ति सामान मकान की तलाशी– **प्र.पी.–5**
6. तलाशी पंचनामा– **प्र.पी.–6**
7. तलाशी बरामदगी पंचनामा– **प्र.पी.–7**
8. सामान पहचान पंचनामा– **प्र.पी.–8**
9. जप्ती पत्रक– **प्र.पी.–9**
10. गिरफ्तारी पत्रक– **प्र.पी.–10**
11. सामान नमूना सील पंचनामा– **प्र.पी.–11**
12. नजरी नक्शा– **प्र.पी.–12**
13. बन्ता कुर्रे का पुलिस कथन– **प्र.पी.–13**
14. रामनारायण मारकंडे का पुलिस कथन– **प्र.पी.–14**
15. तलाशी सहमति– **प्र.पी.–15**
16. धारा 91 दप्रस का नोटिस– **प्र.पी.–16**
17. देहाती नालसी– **प्र.पी.–17**
18. प्रथम सूचना रिर्पोट– **प्र.पी.–18**
19. माल जमा पावती– **प्र.पी.–19**
20. मालखाना निकासी पंचनामा–**प्र.पी.–20**

21. आब.उप. गुरूर को तहरीर प्रेषित–**प्र.पी.–21**
22. मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन–**प्र.पी.–22**
23. नकल रोजनामचा सान्हा दिनांक 10.11.22–
प्र.पी.–23
24. नकल रोजनामचा सान्हा दिनांक 12.11.22–
प्र.पी.–24

बचावपक्ष द्वारा अपने पक्ष समर्थन में कोई साक्ष्य तथा दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 1 व 3

07– विचारणीय प्रश्न क्र. 1 व 3 परस्पर आश्रित होने से तथा साक्ष्य के दोहराव से बचने के लिए उक्त विचारणीय प्रश्न का अवधारण एक साथ किया जा रहा है।

08– प्रकरण में सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना है कि क्या घटना दिनांक को अभियुक्त नंदकुमार गंजीर से कोई संदेहास्पद द्रव्य बरामद की गई थी? उक्त तथ्य प्रमाणित किये जाने हेतु अभियोजन द्वारा सर्वप्रथम प्रधान आरक्षक नर्मदा कोठारी **(अ.सा.–03)** का परीक्षण करवाया गया है। उन्होने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक 10.11.2022 को

हमराह स्टाफ के साथ शासकीय वाहन से पेट्रोलिंग पर रवाना होकर अम्बेडकर चौक के पास पहुंचे थे। पेट्रोलिंग के दौरान उसे मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि मेन रोड गुरूर चितरंजन चौक के पास एक व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब रखकर बिक्री कर रहा है।

09– इसी साक्षी का आगे कथन है कि उक्त सूचना पर उसने मौके पर उपस्थित साक्षी रामनारायण मारकण्डे एवं बन्ता कुर्रे को धारा 160 द.प्र.सं. का नोटिस देकर संपूर्ण कार्यवाही के दौरान साक्षी बनने कहा तथा मुखबीर सूचना से अवगत कराया। उक्त कथन के समर्थन में धारा 160 द.प्र.सं. की नोटिस **(प्र.पी.–01)** मुखबीर सूचना पंचनामा **(प्र.पी.–02)** प्रकरण में पेश किया गया है।

10– इसी साक्षी का आगे कथन है कि वह साक्षीगण के समक्ष ही घटनास्थल पहुंचकर घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़े। उसके द्वारा अभियुक्त को अपनी एवं स्टाफ की तलाशी देकर साक्षीगणों के समक्ष तलाशी पंचनामा लेने वाले पुलिस पार्टी एवं गवाह का पंचनामा **(प्र.पी.–03)** तैयार किया। अभियुक्त द्वारा अपनी तलाशी हेतु सहमति दिये जाने के संबंध में तलाशी सहमति पत्र **(प्र.पी.–15)** दिया, जिसके बाद साक्षीगण के समक्ष अभियुक्त को व्यक्ति सामान मकान की तलाशी हेतु नोटिस **(प्र.पी.–04)** दिया। इसी साक्षी का आगे कथन है कि अभियुक्त की तलाशी लेने पर

उसके कब्जे से एक हरे रंग के थैले में रखा 18 पाव देशी प्लेन शराब तथा बिक्री रकम 240/– रू. बरामद किया गया। जिसके संबंध में व्यक्ति सामान मकान की तलाशी **(प्र.पी.–05)** तलाशी पंचनामा **(प्र.पी.–06)** एवं तलाशी बरामदगी पंचनामा **(प्र.पी.–07)** पेश किया गया है तथा साक्षीगण के समक्ष समान पहचान पंचनामा **(प्र.पी.–08)** तैयार किया।

11– इसी साक्षी का आगे कथन है कि उसने अभियुक्त के पास शराब रखे जाने के संबंध में धारा 91 द.प्र.सं. की नोटिस **(प्र.पी.–16)** देकर उक्त कथित द्रव की रखने एवं बिक्री हेतु संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हेतु कहा, जिसके जवाब में अभियुक्त ने लिखकर दिया कि उसके पास शराब रखने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है। इसी साक्षी का आगे कथन है कि अभियुक्त के पास वैध दस्तावेज नहीं होने से उसने अभियुक्त से कथित बरामद द्रव्य एवं शराब बिक्री रकम 240/–रूपये जप्त कर जप्ती पत्रक **(प्र.पी.–09)** तथा नमूना सील **(प्र.पी.–11)** तैयार किया गया।

12– अभियोजन द्वारा प्रधान आरक्षक नर्मदा कोठारी **(अ.सा.–03)** के कथन के समर्थन हेतु स्वतंत्र साक्षी बंता कुर्रे **(अ.सा.–01)** एवं रामनारायण **(अ.सा.–02)** का कथन करवाया है। उक्त दोनों साक्षियों ने अभियुक्त नंदकुमार गंजीर को नहीं जानना

व्यक्त किया है। अभियोजन साक्षी बंता कुर्रे **(अ.सा.–01)** ने कथन किया है कि वह घटना दिनांक को शराब भट्ठी गुरूर के पास अपने साले गोलु के चखना दुकान के पास बैठा था तथा अभियोजन साक्षी रामनारायण **(अ.सा.–02)** ने कथन किया है कि वह घटना दिनांक को शराब भट्ठी गुरूर शराब लेने गया था। तभी पुलिसवाले आये और उनसे कुछ दस्तावेजों में हस्ताक्षर करवाया। उक्त दोनों साक्षियों ने कथन किया है कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

13– प्रकरण में यह अवलोकनीय है कि उक्त साक्षीगण ने मुख्य परीक्षण में धारा 160 द.प्र.सं. की नोटिस **(प्र.पी.–01)**, मुखबीर सूचना पंचनामा **(प्र.पी.–02)**, तलाशी पंचनामा लेने वाले पुलिस पार्टी एवं गवाह **(प्र.पी.–03)**, व्यक्ति की तलाशी पंचनामा **(प्र.पी.–04)**, सामान की तलाशी **(प्र.पी.–05)**, तलाशी पंचनामा **(प्र.पी.–06)**, तलाशी बरामदगी पंचनामा **(प्र.पी.–07)**, सामान पहचान पंचनामा **(प्र.पी.–08)**, जप्ती पत्रक **(प्र.पी.–09),** गिरफ्तारी पत्रक **(प्र.पी.–10),** सामान नमूना सील पंचनामा **(प्र.पी.–11)** एवं नजरी नक्शा **(प्र.पी.–12)** पर उनके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया हैं। उक्त दोनो साक्षियों ने कथन किया है कि पुलिस वाले ने उसके समक्ष अभियुक्त नंदकुमार गंजीर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया है और न ही उसके समक्ष नजरी नक्शा

तैयार किया है। उक्त स्वतंत्र साक्षियों ने घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होना व्यक्त किया है।

14– विवेचक प्रधान आरक्षक नर्मदा कोठारी **(अ.सा.–03)** ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध संपूर्ण कार्यवाही उक्त स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष किया गया है। किन्तु उपरोक्त दोनों स्वतंत्र साक्षियों के कथन से दर्शित है कि उनके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। उक्त परिस्थिति में अभियुक्त से कथित संदेहास्पद द्रव्य की जप्ती होना पूर्ण रूप से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अभियुक्त के पास उक्त कथित द्रव्य की बिक्री का प्रश्न भी महत्वहीन है। अतः विचारणीय प्रश्न क्र. 01 व 03 "अप्रमाणित" धारित किया जाता है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रं. 02</u>

15– अभियोजन द्वारा विचारणीय प्रश्न क्रं. 02 प्रमाणित किए जाने हेतु प्रधान आरक्षक नर्मदा कोठारी **(अ.सा.–03)** का कथन कराया है। उन्होने व्यक्त किया है कि उसने जप्त कथित द्रव के परीक्षण हेतु आबकारी उपनिरीक्षक गुरूर जिला बालोद को तहरीर **(प्र.पी.–21)** प्रेषित किया था। उक्त कथन के समर्थन में

अभियोजन द्वारा आगे आबकारी उपनिरीक्षक अतुल देवांगन **(अ.सा.–04)** का परीक्षण करवाया गया है।

16– उक्त साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि उसे हस्तगत प्रकरण के संबंध में मदिरा परीक्षण हेतु तहरीर **(प्र.पी.–21)** सहित कथित द्रव प्राप्त हुआ था। उक्त द्रव के जांच उपरांत उसने पाया कि द्रव का रंग देखने पर रंगहीन होना पाया एवं शिशियों पर देशी प्लेन मदिरा का लेबल लगा होना पाया। द्रव की गंध सूंघने पर प्लेन देशी मदिरा का सुपरिचित गंध होना पाया। द्रव का स्वाद चखने पर देशी मदिरा का सुपरिचित स्वाद होना पाया। नीला लिटमस पेपर तरल पदार्थ में डालने पर पेपर का रंग नीला ही रहा तथा द्रव की तेजी थर्मामीटर एवं हाइड्रोमीटर से मापने पर 50.6 यू.पी. होना पाया।

17– उक्त साक्षी का आगे कथन है कि परीक्षण के परिणाम अनुसार उसने अपने प्रशिक्षण एवं विभागीय अनुभव के आधार पर पाया कि जप्त कथित द्रव देशी प्लेन मदिरा है। अभियोजन द्वारा परीक्षण के संबंध में मदिरा मुलाहिजा रिपोर्ट **(प्र.पी.–22)** प्रकरण में पेश किया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने परीक्षण हेतु लाये गये कुल 18 पाव कथित संदेहास्पद द्रव्य में से केवल 04 पाव का परीक्षण किया था। किन्तु इसी साक्षी द्वारा

स्पष्टीकरण देते हुए कथन किया गया है कि उसने रेन्डम आधार पर उक्त 18 पाव कथित संदेहास्पद द्रव्य में से केवल 04 पाव का परीक्षण किया था।

18– उक्त साक्षी का कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत सुसंगत है किन्तु पूर्व में ही अभियुक्त से की गई कथित द्रव्य की जप्ती प्रमाणित नहीं हुई है ऐसे में उक्त साक्षी द्वारा किये गये परीक्षण का परिणाम महत्वहीन हो जाता है। अतः उक्त परिस्थिति में तथा बरामदगी के संबंध में संदेह उत्पन्न होने से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 **"अप्रमाणित"** धारित किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 4

19– प्रकरण की संपूर्ण विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि, अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त शंका से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किंचित मात्र भी संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। अत: अभियुक्त **नंदकुमार गंजीर, पिता स्व. रघुनंदन गंजीर, उम्र–66 वर्ष, साकिन मोखा थाना गुरुर जिला– बालोद (छ.ग.)** को **छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा–34(1)(क)** एवं **34(1)(ख)** के अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

20– प्रकरण में जप्त 18 पाव देशी प्लेन मदिरा को अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट किया जावे। अन्यथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार व्ययन किया जावें। प्रकरण में जप्त 240/–रू. अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात विधिवत राजसात किया जावें। अन्यथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

21– द. प्र. स. की धारा 437(क) के अनुपालन में अभियुक्त द्वारा पूर्व में पेश जमानत मुचलका निर्णय दिनांक से आगामी 6 माह तक प्रभावी रहेगा, तथा उक्त अवधि के अवसान पश्चात अभियुक्त का जमानत मुचलका स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

22– निर्णय की नि:शुल्क प्रति अभियोजन को प्रदान की जावे।

23– प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अन्तर्गत निम्नलिखित है–

क	आरोपी का नाम	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	कारावास की कुल अवधि जो सजा में समायोजित किया जाना हो।
1	2	3	4	5
1	नंदकुमार गंजीर	निरंक	निरंक	–

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निदेशन पर टंकित।

(कु. माधुरी मरकाम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
बालोद, जिला– बालोद (छ.ग.)

(कु. माधुरी मरकाम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
बालोद, जिला– बालोद (छ.ग.)